

I/197836/2022

**भाग-5**

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा बहराइच-अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के किमी० नं०-57 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-58 ग्राम मुंडेरवाकला तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.210889 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/144332/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-275/81-2-2022-800(269)/2022 दिनांक 03 अगस्त 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 03-08-2022 11:08:15

Reason: Approved

( )

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)  
सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु  
परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।